न्यूज़ टुडे

केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री ने असम के 'जोगीघोपा' में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया

यह टर्मिनल अपनी **रणनीतिक अवस्थिति** के कारण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह **भूटान** और **बांग्लादेश** की सीमा के निकट स्थित है। साथ ही, यह भारत के **द्विपक्षीय व्यापार** को मजबूत करने और **नेबरहुड फर्स्ट नीति** को आगे बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।

अंतर्देशीय जल परिवहन के बारे में

- **अर्थ:** अंतर्देशीय जल परिवहन का अर्थ है- **नदियों, नहरों, झीलों और अन्य नेविगेबल जलमार्गों के जरिए लोगों एवं वस्तुओं की आवाजाही।**
- **कानूनी फ्रेमवर्क:**
  - **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985:** इसके तहत 1986 में **भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण** (IWAI) का गठन हुआ था।
    - IWAI एक स्वायत्त संगठन है, जो **राष्ट्रीय जलमार्गों** (National Waterways: NWs) के विकास, रखरखाव और विनियमन के लिए उत्तरदायी है।
  - **राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016:** इसके तहत 111 **अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग** (NWs) घोषित किया गया है।
    - जैसे, NW-1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली पर **हल्दिया से इलाहाबाद** तक), NW-2 (ब्रह्मपुत्र नदी पर **धुबरी से सदिया** तक), आदि।
  - **अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 2021:** इस अधिनियम ने 100 साल से भी अधिक पुराने **अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917** का स्थान लिया। इसका उद्देश्य पूरे देश में अंतर्देशीय जहाजों के लिए एक समान नियम स्थापित करना और सुरक्षित नौपरिवहन को बढ़ावा देना है।

अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल 'जोगीघोपा' के बारे में

- **अवस्थिति:** जोगीघोपा, असम के बोंगाईगांव जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है।
  - **पोर्ट ऑफ कॉल:** जोगीघोपा टर्मिनल को भारत और बांग्लादेश के बीच **प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड** (PIWT&T) के तहत पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में भी नामित किया गया है।
  - पोर्ट ऑफ कॉल एक प्रकार का **मध्यवर्ती बंदरगाह** होता है, जहां जहाज आमतौर पर आपूर्ति, मरम्मत या माल लोडिंग-अनलोडिंग के लिए रुकते हैं।

अंतर्देशीय जल परिवहन का महत्त्व

- **लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को बढ़ावा:** पिछले दशक में राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो आवाजाही में **तीव्र वृद्धि देखी गई।**
- **पर्यटन क्षेत्रक को बढ़ावा:** उदाहरण के लिए- **क्रूज़ भारत मिशन** का लक्ष्य 2029 तक समुद्री और नदी क्रूज़ यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करना है।

RBI ने निगरानी संबंधी चिंताओं के कारण न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाए

न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर कड़े प्रतिबंध लगाने से **अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों** (UCBs) **पर RBI की निगरानी और सख्त** हो गई है। इससे इन बैंकों के **संचालन, गवर्नेंस और स्थिरता** को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (UCBs) के बारे में

- **परिचय:** UCBs **प्राथमिक सहकारी बैंक** होते हैं, जो मुख्य रूप से **शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित** होते हैं।
- **कानूनी स्थिति:** ये बैंक **राज्य सहकारी समिति अधिनियम** या **बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002** के तहत **सहकारी समितियों** के रूप में पंजीकृत होते हैं।
- **विनियमन एवं पर्यवेक्षण या निगरानी:** भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949** के तहत UCBs के बैंकिंग कार्यों का विनियमन एवं पर्यवेक्षण करता है।

UCBs से संबंधित प्रमुख मुद्दे

- **निम्न पूंजीकरण या पूंजी की कमी:** ज्यादातर अर्बन कोऑपरेटिव बैंकों के पास **पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं** है। इसकी वजह से वित्तीय संकट की स्थिति में वे आर्थिक दबाव सहन करने में असमर्थ हो जाते हैं।
- **गवर्नेंस संबंधी चिंताएं:** UCBs में धोखाधड़ी और कुप्रबंधन के कई मामले सामने आए हैं, जिससे **जमाकर्ताओं की चिंताएं** बढ़ गई हैं।
- **गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों** (NPAs) **का उच्च अनुपात:** NPAs **का उच्च स्तर** न केवल बैंक की लाभ कमाने की क्षमता को घटाता है, बल्कि UCBs की वित्तीय स्थिरता को भी कमजोर करता है।

UCBs में सुधार के लिए उठाए गए कदम

- **नया 'प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन** (PCA)' **फ्रेमवर्क:** यह RBI का एक विनियामक तंत्र है, जो **आर्थिक रूप से कमजोर UCBs पर प्रतिबंध लगाकर** उनकी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद करता है।
- **नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन** (NUCFDC): यह UCBs के काम-काज में दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्तर का एक अम्ब्रेला संगठन है।
- **बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अधिनियम, 2020:** यह अधिनियम RBI को कुछ शर्तों के तहत कोऑपरेटिव बैंकों के बोर्ड को भंग करने का भी अधिकार प्रदान करता है।
- **अन्य:** UCBs का **चार टियर में वर्गीकरण, शेयर जारी करने की अनुमति**, आदि

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने उत्पादन लागत पर ड्राफ्ट रेगुलेशन जारी किया

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) द्वारा जारी ड्राफ्ट रेगुलेशन का उद्देश्य **प्रीडेटरी प्राइसिंग** से जुड़े आरोपों के मद्देनजर **वस्तुओं या सेवाओं की लागत निर्धारण की कार्यप्रणाली में सुधार करना** है। गौरतलब है कि प्रीडेटरी प्राइसिंग एक प्रकार की **प्रतिस्पर्धा-रोधी पद्धति** है।

- जब कोई कंपनी बाजार में प्रतिस्पर्धा को खत्म या कम करने के उद्देश्य से **उत्पादन लागत से कम कीमत पर** वस्तुएं या सेवाएं बेचती है, तो उसे **प्रीडेटरी प्राइसिंग** कहा जाता है।

प्रतिस्पर्धा-रोधी प्रथाओं के अन्य प्रकार

- **मूल्य निर्धारण में मिलीभगत (Price Fixing):** जब प्रतिस्पर्धी कंपनियां प्रतिस्पर्धा करने के बजाय आपसी समझौते से उच्च कीमतें तय करती हैं, तो उसे प्राइस फिक्सिंग कहा जाता है।
- **पेटेंट का दुरुपयोग:** कई बार कंपनियां प्रतिस्पर्धा को खत्म या कम करने के लिए पेटेंट का गलत इस्तेमाल करती हैं, जैसे- अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों पर मुकदमा चलाने के लिए पेटेंट खरीदना।
- **मिलीभगत वाली बोली:** कंपनियां अक्सर सरकारी या बड़े कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट में बोली प्रक्रिया के परिणाम को नियंत्रित करने के लिए आपस में मिलीभगत करती हैं।
- **टाइंग एंड बंडलिंग:** इसके तहत कोई कंपनी ग्राहकों को एक उत्पाद केवल इस शर्त पर बेचती है कि उन्हें दूसरा उत्पाद भी खरीदना होगा।
  - उदाहरण के लिए- माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड, MS एक्सेल आदि की बंडलिंग।

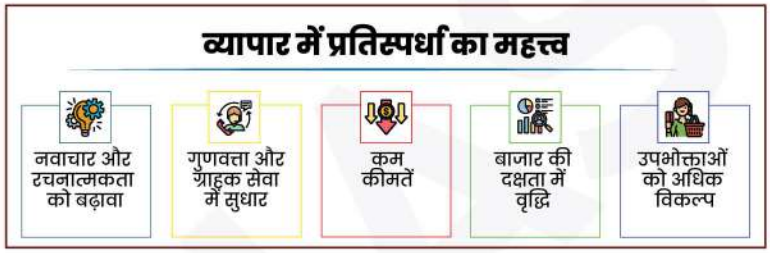

भारत में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए संस्थागत व्यवस्था

- **कानून:** प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002; उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019; बौद्धिक संपदा कानून (पेटेंट अधिनियम, 1970 और कॉपीराइट अधिनियम, 1957); आदि।
- **संस्थाएं:** भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ट्राई, सेबी, IRDAI जैसे विनियामकीय प्राधिकरण, आदि।

एंटी-रैगिंग दिशा-निर्देशों को सही से लागू नहीं करने के कारण शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग की घटनाएं बढ़ीं हैं

हाल के दिनों में देश के अलग-अलग कॉलेजों से रैगिंग से जुड़ी कई मौतों और शिकायतों की खबरें सामने आई हैं।

- ऐसा कोई भी **मौखिक, लिखित या शारीरिक कृत्य रैगिंग कहलाता है, जो जूनियर्स को परेशान करता है, डराता या अपमानित करता है** और जिससे उनके **मानसिक या शारीरिक स्वास्थ्य को क्षति** पहुँचती है।
- **रैगिंग की मुख्य वजहों में** सीनियर-जूनियर प्रतिद्वंद्विता, प्रेम-संबंधी विवाद, सेक्सुअलिटी और **दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की मानसिकता** शामिल हैं।

भारत में रैगिंग से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े

- **आत्महत्या/ मौतें:** जनवरी 2012 से अक्टूबर 2023 के बीच देश में **रैगिंग से जुड़ी 78 मौतें** दर्ज की गई हैं।
- **UGC हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतें:** पिछले एक दशक में रैगिंग के 8,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। रिकॉर्ड के मुताबिक 2012-2022 के बीच रैगिंग की शिकायतों में 208% की वृद्धि दर्ज की गई।

रैगिंग को समाप्त करने में मुख्य चुनौतियां

- **दिशा-निर्देशों को सही से लागू नहीं करना:**
  - रैगिंग को रोकने वाले दिशा-निर्देशों के लागू होने के संबंध में UGC की कमजोर और प्रभावहीन निगरानी।
  - रैगिंग की अधिकांश शिकायतों को कॉलेज कैंपस के भीतर ही सुलझाने का प्रयास किया जाता है।
  - सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का आंशिक तौर पर पालन किया जाता है, आदि।
- **प्रतिशोध का डर:** पीड़ित विद्यार्थी अक्सर सीनियर्स के डर से रैगिंग की शिकायत करने से कतराते हैं।
- **जागरूकता और संवेदनशीलता का अभाव:** अधिकतर विद्यार्थी **रैगिंग के मानसिक और कानूनी दुष्प्रभावों से अनजान** रहते हैं क्योंकि **एंटी-रैगिंग ओरिएंटेशन प्रोग्राम मात्र औपचारिकता** बनकर रह गए हैं।

भारत में एंटी-रैगिंग फ्रेमवर्क

- **UGC के विनियम:** विद्यार्थियों को तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के दौरान **तीन एंटी-रैगिंग शपथपत्र** जमा करने होते हैं।
- **राघवन समिति (2007):** इस समिति ने रैगिंग रोकने के लिए निम्नलिखित सिफारिशें की थीं:
  - एंटी-रैगिंग दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू करना चाहिए;
  - रैगिंग के मामले को आपराधिक बनाया जाना चाहिए;
  - रैगिंग को रोकने के लिए शैक्षिक संस्थानों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।
- **अन्य सिफारिशें:**
  - शैक्षिक संस्थानों में शिकायत पेटियों, CCTV और ID-आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से निगरानी बढ़ानी चाहिए।
  - एंटी-रैगिंग दिशा-निर्देशों को सभी संस्थानों में सख्ती से लागू करना चाहिए।
  - कानूनों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया

संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2009 से हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस इस विचार को बढ़ावा देता है कि **शांति, सुरक्षा और सभी के लिए सम्मान के बिना, सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं किया जा सकता है।**

सामाजिक न्याय के बारे में

- **परिभाषा:** संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, सामाजिक न्याय **राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच शांतिपूर्ण एवं समृद्ध सह-अस्तित्व के लिए एक आवश्यक सिद्धांत है।**

सिद्धांत	अर्थ	उदाहरण (भारतीय संविधान/ वैश्विक पहलें)
समानता	इसके तहत यह माना जाता है कि **अलग-अलग लोगों की अलग-अलग जरूरतें** होती हैं।	**अनुच्छेद 46:** यह **SC, ST और कमजोर वर्गों के लिए** विशेष शैक्षिक और आर्थिक प्रोत्साहन का प्रावधान करता है।
उपलब्धता	आगे बढ़ने के लिए के **संसाधनों** और अवसरों की उपलब्धता।	• **अनुच्छेद 39A:** यह वंचित लोगों के लिए निःशुल्क क़ानूनी सहायता का प्रावधान करता है। • **SDG 4:** गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता।
सहभागिता	सभी व्यक्तियों को **राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन** में भूमिका निभाने में सक्षम बनाना।	भारतीय संविधान की प्रस्तावना में **सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय** का उल्लेख किया गया है।
अधिकार	सभी व्यक्तियों के **मानवाधिकारों** की रक्षा करना।	• **मौलिक अधिकार** ◦ **अनुच्छेद 23:** यह मानव तस्करी और बलात श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। ◦ **अनुच्छेद 24:** यह परिसंकटमय व्यवसायों में बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। • **मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा-पत्र।**
विविधता	नस्ल, जेंडर और सेक्शुअल ओरिएंटेशन जैसे अलग-अलग नजरियों को महत्व देना।	• **यू.एन. वीमेन** का लक्ष्य महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करना है।

संबंधित सरकारी योजनाएं

- **प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (PM-AJAY):** इसका उद्देश्य कौशल विकास आदि के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों का उत्थान करना है।
- **मशीनीकृत सैनिटेशन इकोसिस्टम के लिए राष्ट्रीय योजना (NAMASTE/ नमस्ते):** यह योजना सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आरंभ की गई है।
- **वंचित व्यक्तियों के लिए आजीविका और उद्यम सहायता (SMILE/ स्माइल) योजना:** इसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर्स और भिक्षावृत्ति में संलग्न व्यक्तियों का पुनर्वास करना है।

एक अध्ययन में प्रोजेक्ट चीता को लेकर नैतिक और पारिस्थितिकी संबंधी चिंताओं को उजागर किया गया है

इस अध्ययन का शीर्षक 'भारत में चीता पुनर्वास की प्रायोगिक परियोजना के पर्यावरणीय व न्यायसंगत प्रभावों का चित्रण" है। इस अध्ययन में चीतों को पुनः बसाने और पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली संबंधी परियोजनाओं से जुड़े व्यापक मुद्दों का विश्लेषण करने के लिए **प्रोजेक्ट चीता को एक केस स्टडी के रूप में** उपयोग किया है।

- **प्रोजेक्ट चीता** का उद्देश्य अफ्रीकी चीतों को भारत में बसाना है। गौरतलब है कि भारत में कभी एशियाई चीते पाए जाते थे लेकिन अब वे भारत से विलुप्त हो चुके हैं।
- इस प्रोजेक्ट के तहत अफ्रीका से 20 चीते मध्य प्रदेश के **कूनो नेशनल पार्क (KNP)** में लाए गए। हालांकि, **इनमें से 40% वयस्क चीतों और 29.4% शावकों की मृत्यु हो गई।** साथ ही, शेष बचे चीतों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई गई है। इन वजहों से प्रोजेक्ट चीता पर सवाल उठ रहे हैं।

प्रोजेक्ट चीता से जुड़ी प्रमुख चिंताएं

- **पारिस्थितिकी दृष्टि से बेमेल:** भारत और अफ्रीका के बीच जलवायु, शिकार (आहार) की प्रकृति और वन्यजीवों के पर्यावास के मामले में व्यापक अंतर मौजूद हैं। ये चुनौतियां चीते के दीर्घकालिक अस्तित्व को बनाए रखने को लेकर चिंताएं पैदा करती हैं।
- **तनावपूर्ण परिस्थितियां:** चीते को **बेहोश करने के लिए लगातार रासायनिक दवाइयों के इस्तेमाल** से इन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।
  - कूनो में लाए गए अधिकतर जीवित बचे चीते अभी भी कैप्टिव दशाओं में रखे गए हैं। इस वजह से ये अभी भी कूनो पार्क में स्वतंत्र रूप से विचरण करने का स्वाभाविक व्यवहार विकसित नहीं कर पाए हैं ।
- **भविष्य में चीता लाने को लेकर अनिश्चितता:** अफ्रीका में चीता की कम होती संख्या को लेकर पहले से ही चिंताएं जताई जा रही हैं। एक अनुमान के अनुसार **अफ्रीका में लगभग 6,500 वयस्क चीते** बचे हैं। जाहिर है कि भविष्य में अफ्रीका से भारत में चीता लाने का विरोध किया जा सकता है।
  - **इससे भारत में प्रतिवर्ष 12 चीतों को लाने की योजना के जारी रहने पर संदेह** उत्पन्न हो गया है। साथ ही, इससे नैतिकता संबंधी चिंताएं भी उत्पन्न होती हैं।
- **असमान सामाजिक प्रभाव:** इस परियोजना में स्थानीय समुदायों की कम भागीदारी रही है। साथ ही, संरक्षण के लिए पूर्व में आदिवासी समुदायों को विस्थापन का सामना भी करना पड़ा है।

रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

- इस अध्ययन में अधिक सहभागी और समावेशी संरक्षण मॉडल के लिए न्यायसंगत-सूचित दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
  - गौरतलब है कि कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क संरक्षण में समानता और न्याय पर जोर दिया गया है।
- **स्थानीय ज्ञान:** मानव और वन्यजीवों के बीच **संधारणीय सह-अस्तित्व** सुनिश्चित करने के लिए **स्थानीय ज्ञान प्रणालियों का सम्मान करना और उसका उपयोग किया जाना चाहिए।**

अन्य सुर्ख़ियां

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन (IALA)

भारत को सिंगापुर में IALA के **उपाध्यक्ष पद** के लिए चुना गया है। इससे **समुद्री सुरक्षा, नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग** के प्रति भारत की प्रतिबद्धता मजबूत हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के बारे में

- **मुख्यालय:** यह फ्रांस के सेंट-जर्मैन-एन-लाई में स्थित है।
- **स्थापना:** इसकी स्थापना 1957 में एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) के रूप में की गई थी।
- **अंतर-सरकारी संगठन के रूप में ट्रांजीशन:** IALA पहले एक NGO था, लेकिन 2024 में यह एक अंतर-सरकारी संगठन (IGO) बन गया।
- **उद्देश्य:** यह सदस्यों से वैश्विक स्तर पर समुद्री नेविगेशन सहायता (Marine Aids to Navigation) के मानकीकरण में सहयोग करने का आह्वान करता है, ताकि जहाजों की आवाजाही सुरक्षित, प्रभावी और पर्यावरण-अनुकूल बनाई जा सके।
- **सदस्यों की श्रेणियाँ:** IALA के तीन प्रकार के सदस्य हैं;
  - सदस्य राष्ट्र,
  - एसोसिएट सदस्य और
  - औद्योगिक जगत के सदस्य।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST)

हाल ही में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने 19 फरवरी को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के बारे में

- **स्थापना:** इसे संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत स्थापित किया गया है। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338A जोड़ा गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है।
  - 89वें संविधान संशोधन के तहत पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को विभाजित करके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) नामक दो अलग-अलग संस्थाओं की स्थापना की गई।
- **संरचना:** इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा तीन सदस्य शामिल हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित वारंट के तहत नियुक्त किया जाता है।
- **सौंपे गए कार्य:**
  - संविधान में अनुसूचित जनजातियों (STs) को दिए गए संरक्षण उपायों का निरीक्षण, निगरानी और अनुशंसा करना एवं उनके हितों की सुरक्षा करना।

संविधान का अनुच्छेद 142

हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट (SC) ने **तलाक के एक मामले में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग** किया।

अनुच्छेद 142 के बारे में

- यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी लंबित मामले या विषय में **पूर्ण न्याय करने के लिए** आवश्यक **कोई भी डिक्री या आदेश** पारित कर सकता है। इस डिक्री या आदेश को भारत के संपूर्ण क्षेत्र में लागू किया जा सकता है।
- यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को **किसी भी व्यक्ति को उपस्थित होने**, किसी भी डाक्यूमेंट्स को प्राप्त या प्रस्तुत करने, खुद की (सुप्रीम कोर्ट) **अवमानना के मामले की जांच करने या सजा देने** के उद्देश्य से कोई भी आदेश पारित करने की शक्ति भी देता है।

किवु झील (Lake Kivu)

हाल ही में, एक विद्रोही समूह ने **डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो (DRC) के गोमा शहर पर कब्जा** कर लिया।

- यह **शहर किवु झील के तट पर** बसा है। जाहिर है यह झील भी गोमा शहर में तबाही के मंजर का गवाह बना और इसमें परिवहन गतिविधियां बढ़ गई हैं।

किवु झील के बारे में

- **अवस्थिति:** यह झील **रवांडा और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच की सीमा पर** स्थित है।
- **ज्वालामुखी से उत्पत्ति:** यह झील **अल्बर्टाइन रिफ्ट** में स्थित है। यहां अक्सर भूकंप आता रहता है।
- यह झील **रुज़िज़ी नदी** में मिलती है। यह नदी आगे **तांगान्यीका झील** में मिल जाती है।
- इसमें बड़ी मात्रा में **मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड के भंडार** मौजूद हैं। इससे लिम्निक विस्फोट (limnic eruption) का खतरा बढ़ जाता है।
- **लिम्निक विस्फोट** एक प्रकार की **दुर्लभ प्राकृतिक आपदा** है। यह तब उत्पन्न होती है जब एक झील **बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) गैस** उत्सर्जित करती है।

टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड (TAF)

भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र (IN-SPACe) ने **टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड** लॉन्च किया।

- IN-SPACe भारत सरकार के **अंतरिक्ष विभाग (DOS)** के तहत एक **सिंगल-विंडो, स्वतंत्र, नोडल और स्वायत्त एजेंसी** है। इसका उद्देश्य **अंतरिक्ष में निजी क्षेत्रक की भागीदारी को सुविधाजनक बनाना** है।

टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड (TAF) के बारे में

- **परिचय:** यह एक प्रकार की **वित्त-पोषण योजना** है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्रक में **इनोवेशन को बढ़ावा देना** और **अत्याधुनिक तकनीकों के व्यावसायीकरण को प्रोत्साहन** देना है।
- **कुल वित्त-पोषण:** 500 करोड़ रुपये।
- **वित्त-पोषण प्राप्त करने के लिए पात्रता:** भारत की गैर-सरकारी संस्थाएं (NGE)।
- **वित्त-पोषण प्रणाली:**
  - स्टार्टअप और MSMEs को **परियोजना लागत की 60%** तक की वित्तीय सहायता, और
  - बड़े उद्योगों को परियोजना लागत की **40% तक की वित्तीय सहायता,**
  - प्रति परियोजना **अधिकतम वित्त-पोषण राशि 25 करोड़ रुपये** होगी।

कोएलिशन फॉर एनवायरनमेंटली सस्टेनेबल AI

हाल ही में, कई देशों, टेक कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने **कोएलिशन फॉर एनवायरनमेंटली सस्टेनेबल AI** स्थापित करने के लिए साझेदारी की है।

इस कोएलिशन के बारे में

- **एक नजर:** यह 37 टेक कंपनियों, 11 देशों और 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों सहित 100 से अधिक भागीदारों के साथ एक वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य AI की पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा देना है।
- **नेतृत्व: फ्रांस**, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU)।
- **घोषणा:** इसे पेरिस में आयोजित **AI एक्शन समिट** में लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य:**
  - **डीकार्बोनाइजेशन, प्रदूषण में कमी, जैव विविधता संरक्षण और महासागर संरक्षण** के लिए AI का उपयोग करना।
  - **मानकीकृत मेट्रिक्स, जीवन चक्र विश्लेषण फ्रेमवर्क्स और संधारणीय AI अनुसंधान** स्थापित करना।
  - **सरकारों, शिक्षा जगत, नागरिक समाज और निजी क्षेत्रक के बीच सहयोग को बढ़ावा** देना।

एक्रीशन डिस्क

नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने एक्रीशन डिस्क से लगातार टिमटिमाती रोशनी को डिटेक्ट किया है।

- जेम्स वेब टेलीस्कोप को 2021 में **'सैजिटेरियस A'** नामक ब्लैक होल के आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए लॉन्च किया गया था।

एक्रीशन डिस्क के बारे में

- **परिभाषा:** यह ब्लैक होल के चारों ओर प्राथमिक प्रकाश स्रोत के रूप में घूमती हुई गैसीय डिस्क जैसी होती है।
- **गठन और संरचना:** जब कोई ब्लैक होल अपने आस-पास के तारों या इंटरस्टेलर गैसीय पदार्थों को अपनी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति से खींचता है तो ये पदार्थ ब्लैक होल के चारों ओर तेजी से घूमने लगते है। इससे एक्रीशन डिस्क का निर्माण होता है। अत्यधिक घर्षण और संपीड़न के कारण एक्रीशन डिस्क में मौजूद गैस गर्म हो जाती हैं और चमकने लगती है। अंततः गैसीय पदार्थ (एक्रीशन डिस्क) इवेंट होराइजन में समा जाती है।

ICD-11

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2025 के लिए रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण को अपडेट करने की घोषणा की (ICD-11)।

ICD-11 के बारे में

- यह बीमारियों और स्वास्थ्य स्थितियों को वर्गीकृत करने के लिए **WHO द्वारा विकसित एक मानकीकृत वैश्विक प्रणाली** है। हाल ही में, पारंपरिक चिकित्सा को इसमें शामिल करने के लिए इसका विस्तार किया गया है।
- **उत्पत्ति:** इसे पहली बार 1893 में पेश किया गया था। वर्तमान में, इसका 11वां संशोधन (ICD-11) लागू किया गया है।
- **महत्त्व:** ICD-11 वैश्विक स्वास्थ्य निगरानी, नीति निर्धारण और स्वास्थ्य संबंधी SDG प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- **2025 के लिए ICD-11 अपडेट: इंटरऑपरेबिलिटी, सटीकता और बहुभाषी** बनाया गया है। **ऑर्फनेट और मेडड्रा** (MedDRA) के साथ एकीकृत किया गया है, तथा **आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी के लिए एक पारंपरिक चिकित्सा मॉड्यूल** को भी शामिल किया गया है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

छत्रपति शिवाजी महाराज (1630 - 1680)

19 फरवरी को देशभर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई।

छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में

- छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म **शिवनेरी किले** में हुआ था।
- शिवाजी का पालन पोषण उनकी मां जीजाबाई और गुरु दादोजी कोंडदेव की देखरेख में हुआ था। शिवाजी पर हिंदू और सूफी शिक्षाओं का गहरा असर था।

प्रमुख योगदान

- **सैन्य उपलब्धियां और गुरिल्ला युद्ध शैली:**
  - शिवाजी ने मात्र 16 वर्ष की आयु में **तोरण किले** पर अधिकार करके अपनी विजय यात्रा का शुभारंभ किया।
  - गुरिल्ला युद्ध पद्धति के कारण 1659 में उन्होंने अफजल खान को परास्त किया।
- **प्रशासन और शासन:**
  - शिवाजी ने अपने राज्य में **राजस्व सुधारों, अनुशासित सेना और धार्मिक सहिष्णुता** पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रगतिशील शासन व्यवस्था को लागू किया था।
  - 1674 में **छत्रपति के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक** हुआ, जिसने स्वतंत्र मराठा साम्राज्य को औपचारिक पहचान दी।
- **विरासत:**
  - शिवाजी महाराज का **"हिंदवी स्वराज्य (स्व-शासन)"** का दृष्टिकोण पीढ़ियों से सभी को प्रेरित करता आया है।
  - शिवाजी महाराज को एक **दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता, न्यायप्रिय शासक और बहादुरी एवं स्वतंत्रता के प्रतीक** के रूप में याद किया जाता है।